बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः– 2/अ0प्र0–1–105/2022 1890 /पटना, दिनांक :– 29.8.23

दिनांक 21.12.2022 को कार्य प्रमंडल अरवल के क्षेत्र भ्रमण के दौरान कार्यों की प्रगति के संबंध में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में MIS Portal पर उपलब्ध पथों के आंकड़ों के समीक्षोपरान्त पाया गया कि कार्य प्रमंडल, अरवल के क्षेत्राधीन करपी एवं कलेर प्रखंड में MMGSY योजनान्तर्गत ऐसे पथ जिनका एकरारनामा 2019 एवं 2020 में हो गया है, जहॉ कार्यों में प्रगति ना होने का कारण संवेदक द्वारा शिथिलता बरतना है, वहॉ अब तक संवेदक को Blacklist करने की अनुशंसा मुख्यालय को समर्पित नहीं की गई है एवं कार्यों में कोई प्रगति नहीं पायी गई। अतएव कार्यों के पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने संबंधी आरोपों पर श्री नागेश्वर प्रसाद यादव, तदेन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल औरंगाबाद से विभागीय पत्रांक 2215 दिनांक 23.12.2022 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई।

2. श्री यादव द्वारा पत्रांक 36 दिनांक 07.01.2023 के माध्यम से समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकारयोग्य पाये जाने के फलस्वरूप श्री यादव के विरूद्ध निम्नलिखित आरोपों पर आरोप पत्र का गठन किया गयाः–

(i) MMGSY योजनान्तर्गत ऐसे पथ जिनका एकरारनामा 2019–2020 में हो गया है एवं जहॉ पथों की प्रगति निजी जमीन के मामलों से जुड़ी है वहॉ भू–अर्जन के लिए उचित कार्रवाई नहीं की गई है।

(ii) कार्य प्रमंडल अरवल के क्षेत्राधीन अरवल, कलेर प्रखंड के पथ MMGSY (SC) योजनान्तर्गत Rupsagar Bigha Salidad to Mahendiya Canal का Agreement Date MIS Portal पर upload नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा स्वीकार किया गया कि MIS Portal पर पथों की स्थिति अद्यतन नहीं की गई है।

(iii) कार्य प्रमंडल अरवल के क्षेत्राधीन करपी एवं कलेर प्रखंड में MMGSY योजनान्तर्गत 2019 एवं 2020 में एकरारनामा किये गए पथों के कार्यों में प्रगति नहीं होने एवं कार्यों में शिथिलता बरतने वाले संवेदकों के विरूद्ध एकरारनामा के प्रावधानुसार Blacklist करने की अनुशंसा कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा मुख्यालय को समर्पित नहीं की गई।

3. श्री यादव के विरूद्ध उपर्युक्त आरोप पत्र के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत अधिसूचना सं0 466 सह–पठित ज्ञापांक 467 दिनांक 07.03.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। इसके निमित्त मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री विनय कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–2 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 1979 दिनांक 30.06.2023 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें श्री नागेश्वर प्रसाद यादव, तदेन

अधीक्षण अभियंता के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को अप्रमाणित पाये जाने का निष्कर्ष अंकित किया गया। आरोपों पर संचालन पदाधिकारी का मंतव्य निम्नवत् है–

(i) आरोपित अधीक्षण अभियंता द्वारा अपने बचाव बयान के साथ संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा भू–अर्जन के संबंध में रागुचित कार्रवाई की गयी है। अतः बचाव बयान स्वीकारात्मक माना जा सकता है।

(ii) आलोच्य पथ को Drop करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया था। इसी कारण MIS Portal पर इस योजना का Agreement Date प्रदर्शित नहीं हो रहा था। अतः बचाव बयान स्वीकारात्मक माना जा सकता है।

(iii) जिन संवेदकों द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं किया जा रहा है उन्हें डीबार करने की कार्रवाई करने का निदेश कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया एवं तदनुसार डीबार की अनुशंसा की गई है। स्पष्टीकरण के साथ संलग्न साक्ष्यों से स्पष्ट है कि उनके द्वारा कार्य में शिथिलता बरतने वाले संवेदकों के विरूद्ध कार्रवाई की गयी है। अतः बचाव बयान स्वीकारात्मक माना जा सकता है।

5. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त उक्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री यादव को प्रश्नगत आरोप से मुक्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

6. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री नागेश्वर प्रसाद यादव, तदेन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल औरंगाबाद को प्रश्नगत मामले में आरोप मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

24/8/2023

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–105/2022 1891 /पटना, दिनांकः– 29-8-23

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

24/8/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–105/2022 1891 /पटना, दिनांकः– 29.8.23

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/2023

विशेष सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-b

ज्ञापांकः– 2/अ0प्र0–1–105/2022 1891 /पटना/दिनांकः– 29.8.23

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद/ प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री नागेश्वर प्रसाद यादव, तदेन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल औरंगाबाद सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–105/2022 1891 /पटना/दिनांकः–29.8.23

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

24/8/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–105/2022 1891 /पटना/दिनांकः–29.8.23

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/8/2023

विशेष सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@n